तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/एल.आर./3588/2006/जोधपुर** **अचलूराम बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-07-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री पी0एस0 दशोरा, अधिवक्ता प्रार्थी श्री वी0पी0 सिंह, राज0 अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी धारा 84, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 25-5-2006 को प्रकरण संख्या 47/2005 अनुवानी अचलूराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 422 रकबा 963 वर्ग फुट किस्म गै0मु0 नहर पर सम्वत् 2061 खरीफ में अचलूराम, हेम सिंह पि0 गोरधन राम द्वारा अतिचार करने के आशय की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, सम्बन्धित पटवारी द्वारा प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, जोधपुर ने आदेश दिनांक 2-12-2004 बाबत् बेदखली व शास्ति आरोपित करने का पारित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर जिला कलक्टर, जोधपुर ने निर्णय दिनांक 25-10-2005 से अपील को खारिज किया और द्वितीय अपील पेश होने पर अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 25-5-2006 को अपील को खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ तीनों न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाते हुये मनमाने तरीके से आदेश पारित किए हैं। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि मौके की भौतिक स्थिति एक दम से विपरीत है। खसरा नम्बरान 425, 426, 429, 430, 432, 435 से 438, 420, 421, 424, 431, 433, 427, 434 व 421मिन कुल रकबा 62 बीघा 14 बिस्वा भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है और इन भूमियों के बीच से कदीम से नाडेंलाव नहर निकलती है, जिस नहर के	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/एल.आर./3588/2006/जोधपुर</u>** **<u>अचलूराम बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किनारे पर कदीम से दीवार मारवाड स्टेट के समय से बनी हुई है, जो पी0एच0ई0डी0 विभाग की है। नाडेलाव नहर का लम्बे समय से उपयोग नहीं हो रहा है और इसमें मेघवाल जाति के व्यक्तियों ने कचरा आदि डालना प्रारम्भ कर दिया है। नहर के किनारे दीवार बनी है और तारबंदी की हुई है। दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसे पुनः यथावत कर दिया गया है।प्रार्थीगण का किसी प्रकार का मौके पर कोई अतिचार नहीं है। पूर्व में भी कई शिकायतें प्रार्थीगण के विरुद्ध व्यक्तिगत रंजिश कारणों से नगर निगम एवं तहसीलदार, जोधपुर के यहॉ की गई जो सभी निरस्त की गई है। पटवारी रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थीगण–वर्तमान निगराकारान द्वारा अपने खेतों की सुरक्षा हेतु पूर्व में बनी दीवार को मरम्मत कर खडा किया है। नहर को उॅचा करना या दीवार बनाना किसी प्रकार से अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर पटवारी हल्का द्वारा मौके के विपरीत जाते हुये रिपोर्ट की है, जब कि स्पष्ट रुप से प्रार्थीगण का कोई अतिचार नहीं है और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के स्तर से मौका रिपोर्ट बनवाई जानी चाहिए थी। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करने और प्रार्थीगण के विरुद्ध जारी किए गए धारा 91 के नोटिसों को निरस्त करने का निवेदन किया। राजकीय पक्ष के योग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी का राजकीय भूमि पर अतिचार है और इस प्रकार की स्थिति में अपीलार्थी किसी प्रकार से सहानुभूति का पात्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत हैं। निगरानी का दायरा सीति होने से, समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप उचित नहीं होने से निगरानी खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय का अध्ययन किया गया। प्रकरण में सुस्पष्ट है कि सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा–91, भू राजस्व अधिनिय के तहत रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि आराजी खसरा नम्बर 422 रकबा 963 वर्ग फुट किस्म गै0मु0 नहर पर सम्वत् 2061 खरीफ में अचलूराम, हेम सिंह पि0 गोरधन राम द्वारा दिवार की ऊॅचाई बढा कर एवं नहर पर दिवार बना	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/एल.आर./3588/2006/जोधपुर</u>** **<u>अचलूराम बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर अतिचार किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से जो जबा प्रस्तुत किया गया है उसमें स्पष्ट किया है कि खसरा नम्बरान 425, 426, 429, 430, 432, 435 से 438, 420, 421, 424, 431, 433, 427, 434 व 421 मिन कुल रकबा 62 बीघा 14 बिस्वा भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है और इन भूमियों के बीच से कदीम से नाडेंलाव नहर निकलती है, जिस नहर के किनारे पर कदीम से दीवार मारवाड स्टेट के समय से बनी हुई है, नहर के किनारे दीवार बनी है और तारबंदी की हुई है। दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसे पुनः यथावत कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा राजकीय भूमि अपना किसी प्रकार का अतिचार होने के तथ्य से इन्कार किया है। तहसीलदार, जोधपुर की पत्रावली के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि सम्बन्धित पटवारी से किसी प्रकार के बयान नहीं लिए गए और ना ही प्रार्थीगण को पटवारी से क्रास करने का कोई मौका दिया गया है। पत्रावली में किसी प्रकार की मौके की भोतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे तय हो सके कि वास्तव में अपीलार्थी द्वारा नहर की भूमि में दीवार बनाई गई है? नहर को ऊॅचा करना और टूटी हुई नहर की दीवार को बनाना किस प्रकार से अतिचार है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार के स्तर से मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट ले कर ही यह बिन्दु तय करना चाहिए था कि आया प्रार्थीगण द्वारा नहर की भूमि में किसी प्रकार का अतिचार किया है? अतः हमारी राय में तहसीलदार द्वारा पारित किया गया आदेश विस्तृत जॉच व परीक्षण उपरान्त पारित नहीं किया गया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने भी रुटीन प्रकिया के तहत ही अपने निर्णय पारित कर तहसीलदार के निर्णय को पुष्ट किया है। फलतः प्रकरण में पुनः परीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है। अतः निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-5-2006, जिला कलक्टर, जोधुपर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-10-2005 एवं तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2-12-2004 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण तहसीलदार, जोधपुर को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजीयात व अतिचार के सम्बन्ध में भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगावें और तद्नुसार नये सिरे से नियमानुकूल निर्णय पारित करें। उभय पक्ष	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/एल.आर./3588/2006/जोधपुर</u>** **<u>अचलूराम बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 17–7–2018 को तहसीलदार, जोधपुर के न्यायालय में वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	